

2026:AHC-LKO:7636-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - सी सं. - 997/ 2026

कनिष्ठ अधिवक्ता संघ पुरातन जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
अध्यक्ष के माध्यम से एवं 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारतीय विधिज्ञ परिषद, अध्यक्ष नई दिल्ली के माध्यम से और
6 अन्य

...प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : मनुवेंद्र सिंह, शुभम कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शैलेश कुमार पाठक, सी.एस.सी.,
सुभाष चंद्र पांडे

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. सुना गया।

2. यह याचिका कनिष्ठ अधिवक्ता संघ द्वारा अपने अध्यक्ष, सचिव और प्रकाशन मंत्री के माध्यम से दाखिल की गई है, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किए गए अनुसार संघ के शासी निकाय का कार्यकाल/अवधि पहले ही समाप्त हो चुका है। संघ के उपनियमों के अनुसार वरिष्ठ समिति ने कार्यभार संभाल लिया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. निःसंदेह, यह एक न्यायालय से संबद्ध अधिवक्ता संघ है, लेकिन याचिकाकर्ता इस याचिका को दायर नहीं कर सकते क्योंकि वे अब संघ के शासी निकाय के अध्यक्ष, सचिव और प्रकाशन मंत्री नहीं हैं। यदि कोई कारण बनता है तो वे व्यक्तिगत रूप से रिट याचिका दायर कर सकते हैं, यदि विधि में इसकी अनुमति हो। याचिका अपने वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है।

4. तदनुसार, याचिका को उपरोक्त टिप्पणियों के साथ **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

2 फरवरी, 2026

शानू/-